न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी सुश्री श्वेता कोचर, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
04/2018	अपील 75 LRA	22.06.2018	26.09.2018

छीनादेवी पत्नी शंकरलाल जाति नायक निवासी कड़वासर तहसील व जिला चूरू (राज.)
—अपीलाण्ट—

बनाम

ग्राम पंचायत कड़वासर, तहसील व जिला चूरू (राज.) जरिये सरपंच

—रेस्पोडेण्ट—

अपील विरूद्ध निर्णय व आदेश दिनांक 21.03.2018
इन्तकाल संख्या 1032 ग्राम पंचायत कड़वासर

उपस्थित — 1. अधिवक्ता श्री भीमसिंह शेखावत अपीलाण्ट
2. अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट अनुपस्थित।

निर्णय

अपीलाण्ट की ओर से पेश अपील से सम्बन्धित तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलाण्टा छीनादेवी ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 14.02.2018 को सब रजिस्ट्रार, चूरू से पंजीयन करवा कर सुरजी पुत्री लालू जाति नायक निवासी कड़वासर तहसील व जिला चूरू से खसरा नम्बर 827/297 तादादी 8.8778 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 828/297 तादादी 0.0253 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 829/297 तादादी 0.2529 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल तादादी 9.1560 हैक्टेयर रोही ग्राम कड़वासर में से विक्रेता का 1/5 हिस्सा यानि 1.8212 हैक्टेयर खरीद किया था। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर क्रेता अपीलाण्ट के नाम नामान्तरकरण दर्ज करने हेतु तहसीलदार महोदय, चूरू को आवेदन किया, जिसे उनके द्वारा पटवारी को प्रेषित कर दिया। हल्का पटवारी ने नामान्तरकरण संख्या 1032 दिनांक 20.02.2018 खोला और दिनांक 27.02.2018 को यह रिपोर्ट की कि "प्रविष्टि व विक्रय के हिस्से का मिलान नहीं हो रहा है।" इसके आधार पर भू–अभिलेख निरीक्षक ने भी लिखा है कि "रिपोर्ट पटवारी व जांच में अभिलेख में भिन्नता है। अतः नामान्तरकरण खारिज योग्य है।" हल्का पटवारी व भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट के बाद जब नामान्तरकरण तस्दीक बाबत ग्राम पंचायत कड़वासर के समक्ष रखा गया तो ग्राम पंचायत कड़वासर ने दिनांक 21.03.2018 को उक्त रिपोर्ट के आधार पर इन्तकाल खारिज कर दिया। ग्राम पंचायत के इसी आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की जा रही है। अपीलाण्ट ने इस बाबत अंकित किया है कि प्रविष्टि व विक्रय पत्र में रकबा की कोई भिन्नता नहीं थी, परन्तु हल्का पटवारी व भू–अभिलेख निरीक्षक ने रिकार्ड को गौर से नहीं देखा। इसलिए उक्त आदेश काबिल खारिज है। ग्राम पंचायत कड़वासर के उक्त आदेश की अपीलाण्ट को कोई जानकारी नहीं दी गई। अपीलाण्टा के पति ने हल्का पटवारी से दिनांक 11.06.2018 को सम्पर्क किया तो उन्होंने बताया कि आपका इन्तकाल खारिज हो चुका है तब दिनांक 13.06.2018 को इन्तकाल की नकल प्राप्त की तथा दिनांक 18.06.2018 को वकील से सम्पर्क कर तुरन्त यह अपील हर प्रकार से अन्दर मियाद पेश की जा रही है।

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाई जाकर इन्तकाल संख्या 1032 के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत कड़वासर तहसील व जिला चूरू द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.03.2018 को खारिज फरमाया जाकर इन्तकाल तस्दीक हेतु तहसीलदार महोदय, चूरू आदेशित किया जावे।

प्रस्तुत अपील न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार की होने से दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट को सम्मन जारी किये गये जिस पर तामील नहीं होने पर पुनः रजिस्टर्ड डाक से सम्मन भिजवाये गये तथा रजिस्टर्ड डाक की प्राप्ति रसीद बाद तामील प्राप्त होने के बावजूद रेस्पोडेण्ट सरपंच ग्राम पंचायत कड़वासर की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया जिस पर रेस्पोडेण्ट को न्यायालय समय में बार–बार आवाजें लगाई गई परन्तु बिना कोई उचित कारण के अनुपस्थित रहने पर रेस्पोडेण्ट के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की गई। रेस्पोडेण्ट के अनुपस्थित रहने एवं उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही होने पर अधिवक्ता अपीलाण्ट ने बहस का निवेदन किया। जिस पर वकील अपीलाण्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

वकील अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 14.02.2018 केता से उसका 1/5 हिस्सा क्रय किया गया है। उक्त विक्रय पत्र में अंकित रकबे एवं राजस्व रिकार्ड में दर्ज रकबे में कोई भिन्नता नहीं है। मैंने अपनी अपील के साथ अपीलाधीन कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड एवं विक्रय पत्र दिनांक 14.02.2018 की प्रमाणित प्रतियां पेश की हैं जिनसे प्रमाणित होता है कि राजस्व रिकार्ड एवं विक्रय पत्र में अंकित रकबे में कोई भिन्नता नहीं है। इसलिए रकबे में भिन्नता के आधार पर ग्राम पंचायत कड़वासर द्वारा इन्तकाल संख्या 1032 को खारिज करने के आदेश दिनांक 21.03.2018 अपास्त किया जाकर तहसीलदार महोदय, चूरू को उक्त नामान्तरकरण तस्दीक करने का आदेश फरमाया जावे।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील, पेश दस्तावेजात एवं विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट की बहस के तथ्यों का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया। अपीलार्थी द्वारा पेश अपील ग्राम कड़वासर के नामान्तरकरण सं. 1032 जो ग्राम पंचायत कड़वासर द्वारा दिनांक 21.03.2018 को खारिज किया गया था, के विरूद्ध पेश की गई है। उक्त नामान्तरकरण में अंकित प्रविष्टियों का अवलोकन करने से जाहिर होता है कि उक्त अपीलाधीन कृषि भूमि ख.नं. 827/297, 828/297, 829/297 तादादी क्रमशः 8.8778, 0.0253, 0.2529 कुल 9.1560 हैक्टेयर रोही ग्राम कड़वासर में से सह खातेदार विक्रेता सुरजी पुत्री लालू का 1/5 हिस्सा 1.8212 हैक्टेयर जो अपीलार्थी द्वारा खरीद किया गया था, का अंकन दिनांक 20.02.2018 को अपीलाण्ट के नाम 1/5 हिस्सा 1.8212 हैक्टेयर अंकित किया गया है। पटवारी हल्का सहजूसर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 27.02.2018 में अंकित किया है कि "श्रीमान जी प्रविष्टि व विक्रय में हिस्से का मिलान नहीं हो रहा है।" भू–अभिलेख निरीक्षक झारिया ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 28.02.2018 में अंकित किया है कि "रिपोर्ट पटवारी व जांच में अभिलेख में भिन्नता है अतः नामा.करण खारिज योग्य है।" इसी प्रकार सरपंच ग्राम पंचायत कड़वासर ने अपने आदेश दिनांक 21.03.2018 में अंकित किया है कि "रिपोर्ट ILR मद्देनजर खारज किया जाता है। आज दिनांक 21.03.2018 को ग्राम पंचायत बैठक के बाद विचार विमर्श सर्व सहमति से नामा. को खारिज किया जाता है।" अपीलाण्ट के पति शंकरलाल द्वारा तहसीलदार, चूरू को दिनांक 26.04.18 को उक्त विक्रय पत्र के आधार पर इन्तकाल दर्ज करने के प्रार्थना पत्र की छाया प्रति के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलाण्ट की ओर

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

से पेश प्रार्थना पत्र पर पटवारी हल्का द्वारा की गई रिपोर्ट में वादगत कृषि भूमि में से ख.नं. 828/297 तादादी 0.0253 हैक्टेयर का रकबा विक्रय पत्र में 0.253 हैक्टेयर अंकित होना बताया है, जिसके आधार पर उक्त नामान्तरकरण खारिज किया गया है। प्रमाणित प्रति विक्रय पत्र दिनांक 14.02.2018 के अनुसार वादगत कृषि भूमि में संयुक्त खातेदार सुरजी पुत्री लालू ने अपने 15 हिस्सा 1.8312 हैक्टेयर का विक्रय अपीलाण्ट छीनादेवी पत्नी शंकरलाल को किया है। उक्त विक्रय पत्र में ख.नं. 828/297 का रकबा 0.0253 हैक्टेयर ही अंकित है तथा कुल रकबा भी सही रूप में अंकित है।

उपरोक्त दस्तावेजों में अंकित तथ्यों के अवलोकन एवं मनन यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र उचित प्रतिफल देकर साधिकार वादगत कृषि भूमि के रिकार्डेड सह खातेदार से भूमि क्रय की जाकर दर्ज करवाया गया है परन्तु विक्रय पत्र में अंकित ख.नं. 828/297 के रकबा 0.0253 हैक्टेयर के बजाय 0.253 हैक्टेयर अंकित होने को आधार बना कर उक्त इन्तकाल संख्या 1032 को ग्राम पंचायत कड़वासर द्वारा दिनांक 21.03.2018 को खारिज कर दिया गया जबकि विक्रय पत्र में वादगत सम्पूर्ण भूमि का कुल रकबा सही रूप में अंकित किया गया है तथा अपीलाण्ट द्वारा खरीदशुदा कृषि भूमि किसी खसरा विशेष में ना होकर सम्पूर्ण कृषि भूमि का भाग रही है। रेस्पोडेण्ट पर विधिवत तामील के बावजूद उपस्थित होकर अपील का कोई जवाब भी पेश नहीं किया गया है तथा ख.नं. 828/297 का रकबा 0.253 हैक्टेयर अंकित होने का कोई प्रमाण भी पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में उक्त त्रुटि मात्र टंकणीय भूल ही प्रतीत होती है। इसलिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज इन्तकाल को मात्र एक लिपिकीय भूल को आधार बनाकर नामान्तरकरण संख्या 1032 को खारिज करने में पटवारी हल्का, भू–अभिलेख निरीक्षक एवं ग्राम पंचायत कड़वासर ने त्रुटि की है जबकि तीनों स्तरों पर सम्बन्धित द्वारा पर्याप्त जांच एवं सम्पूर्ण तथ्यों का विश्लेषण नहीं कर सरसरी तौर पर ही जांच की जाकर उक्त अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1032 को दिनांक 21.03.2018 को खारिज करने का आदेश पारित कर दिया जो अपास्त करने योग्य है तथा अपील अपीलाण्ट स्वीकार करने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1032 रोही ग्राम कड़वासर तहसील व जिला चूरू में ग्राम पंचायत, कड़वासर द्वारा दिनांक 21.03.2018 को पारित खारिजी आदेश को अपास्त किया जाता है तथा तहसीलदार, चूरू को आदेश दिया जाता है कि वादगत कृषि भूमि ख.नं. 827/297, 828/297, 829/297 तादादी क्रमशः 8.8778, 0.0253, 0.2529 कुल 9.1560 हैक्टेयर रोही ग्राम कड़वासर में से सह खातेदार विक्रेता सुरजी पुत्री लालू का 1/5 हिस्सा 1.8212 हैक्टेयर जो अपीलाण्ट छीनादेवी द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 14.02.2018 के खरीद किया गया है, का नामान्तरकरण दर्ज कर तस्दीक करावें।

आदेश आज दिनांक 26.09.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्वेता कोचर)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू